राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4391/2025

मुबारिक अली **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.09.2025
आदेश की दिनांक : 10.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागौर, भीलवाडा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2025 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सत्तासर, बीकानेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर वर्ष 1995 में हुई थी और वर्ष 2003 में उसे व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2015 में उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 17.08.1967 है, जिसके अनुसार अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2027 को नियत है और इस प्रकार राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने में मात्र 1 वर्ष 11 माह का समय शेष

है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला भीलवाडा से जिला बीकानेर किया गया है। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष शेष रहने पर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जावे, परंतु राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम 80 के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। ऐसे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार स्थानांतरण किया जाना अनुचित माना है और अधिकरण द्वारा भी अपील संख्या 416/2025 डॉ. शोकत अली बनाम आयुर्वेद विभाग में स्थगन आदेश जारी किये गये हैं। अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 500 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दौसा खुर्द में पदस्थापित किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये छात्रहित में किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अपीलार्थी के सेवानिवृत्त होने में 23 माह का समय शेष है। माननीय खण्डपीठ द्वारा डी.बी.एस.ए.डब्ल्यू संख्या 586/2013 मानसिंह बनाम राजस्थान राज्य में जारी आदेश दिनांक 02.07.2014 में ऐसे स्थानांतरण आदेशों को सही माना है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण नियमानुसार एवं विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागौर, भीलवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2025 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

सत्तासर, बीकानेर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 1 वर्ष 11 माह का समय शेष होने के बावजूद स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2027 अर्थात् 2 वर्ष से भी कम समय शेष रहने पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि निकट भविष्य में होने वाली सेवानिवृति के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486** के निर्णय में इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि सम्बन्धित कर्मचारी 1 वर्ष 10 माह बाद सेवानिवृत्त होने वाला था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य 2007(2) डब्लू.एल.सी. (राजस्थान) 775** के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का अनुसरण करते हुए इस आधार पर स्थानान्तरण आदेशों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था कि सम्बन्धित प्रार्थीगण 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल स्पेशल अपील (डब्ल्यू) संख्या 586/2013 श्री मानसिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य निर्णय दिनांक 02.07.2014 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"It remains trite that ordinarily on other of transfer/posting does not call for interference by the court unless the same is shown to be in violation of any statutory provision or suffering from malafide. From the observations as made in the order impugned, it does not appear if any such allegation was made or pressed before the learned single Judge. For want of any such case, in the order impugned, the learned single Judge has rightly observed in the very first place that the transfer is on incident of service and no interference was called for. In our view, after such observations, the writ petitioner was not entitled for any relief by the writ Court and that too without notice to the other side.*
>
> *In our view, the observations as made in Dr. (Smt.) Pushpa Mehta's case, peculiar to the facts therein, cannot be held laid down a law of universal application that the employer is never entitled to pass a transfer/posting order in relation to a person who is likely to retire after some time."*

उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चयों के मद्देनजर अपीलार्थी, जिसकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष 11 माह का समय शेष है, के प्रकरण में यह अधिकरण किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना विधि के अनुरूप समीचीन नहीं समझता है।

इसी प्रकार अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 500 कि.मी. दूर स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी राज्य सेवा स्तर का कार्मिक है। अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 500 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य